न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2019/00201

1. रामस्वरूप पुत्र जगदीश, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र जगदीश, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, नि0 केसरीसिंहपुरा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. सीता पुत्री जगदीश पत्नि महेश जाति बागडा ब्राहम्ण, नि0 जमना डेयरी सोडाला, जयपुर, जिला जयपुर ।
3. शांति देवी पुत्री जगदीश पत्नि राजेश, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जिला जयपुर ।
4. धापू पत्नि जगदीश, जाति बागडा ब्राहम्ण, नि0 केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
5. सब रजिस्ट्रार/तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपपुर ।
6. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बगरू, जयपुर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 20.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 110/2013 पुनः दर्ज 445/2013.

उपस्थितः—

1. श्री बी0एल0शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री आर0एस0 खगांरोत, रेस्पो0 संख्या 1 से 4.

निर्णय

दिनांकः— 27.10.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. अपीलांट/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 644, 645, 646, 648, 649, 650, 652, 653/808, 654/810, 658/804, 665/809 कुल किता 11 कुल रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर 1/3 वादी व 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। वादपत्र में सजरा दर्शाते हुए तथा भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की मौरूशी

मुस्तर्का सम्पति अंकित कर वादी का बाई बर्थ हक व हिस्सा होने के कथन अंकित किये तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 जो कि अत्यधिक वृद्ध है एवं सोचने एवं समझने की स्थिति में नहीं है एवं वर्तमान में अन्धे है, जिससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर एवं पॉवर ऑफ अटोर्नी तैयार करवाकर भूमि को बिना अधिकार बेचने पर आमादा है तथा धमकी दे रहा है जिस पर वाद कारण अंकित कर वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 का स्वर्गवास हो जाने से उसक विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिये गये तथा प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा वाद प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस या सहमति अनुरूप पारित कर नक्शे कुरेजात तैयार करने हेतु भिजवाये गये । जिसकी अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की जो दिनांक 2.3.2017 को अपील खारिज हो जाने से पत्रावली पुनः अधी0न्याया0 को प्राप्त हुई जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.4.2017 को पक्षकारान को सूचना हेतु अदालती नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिनांक 25.4.2017 नियत कर दी तथा दिनांक 25.4.2017 के पश्चात् कोई आदेशिकायें पत्रावली में अंकित नहीं कर सीधे ही बिना सूचना नोटिस जारी किये एकतरफा में दिनांक 20.6.2017 को अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम झरना में दर्शाते हुए वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम डिक्री कर दिया गया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 20.4.2017 से यह प्रमाणित है कि अपीलांट ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी । दिनांक 3.7.2015 के पश्चात् दिनांक 20.7.2015, 26.8.2015, 5.10.2015, 2.11.2015 वास्ते इंतजार नक्शे कुरेजात हेतु नियत की गई । दिनांक 2.11.2015 से 20.4.2017 तक पत्रावली में आदेशिकायें लापता है तथा दिनांक 20.4.2017 को राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रति के साथ प्राप्त होना दर्शाया गया है जिसमें अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.7.2013 को यथावत् रखा जाना आदेशिका से परिलक्षित है एवं पक्षकारान को जरिये अदालती नोटिस जारी होने के आदेश प्रदान किये गये है । आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.7.2017 नियत है किन्तु दिनांक 20.4.2017 से 25.4.2017 तक आदेशिकाओं में कोई सूचना नोटिस अदालती सम्मन जारी नहीं किये गये है जिससे प्रमाणित है कि दिनांक 25.4.2017 की उपस्थिति बात् अधिवक्ता वादी या वादी को कोई सूचना नोटिस जारी नहीं हुए है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.4.2017 के बाद बिना कोई आगामी तारीख पेशी नियत किये बिना कोई सूचना दिये तथा बिना पक्षकारान को नोटिस जारी किये दिनांक 20.6.2017 को वाद में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है । दिनांक 20.6.2017 की आदेशिका में मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर है वादी या वादी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में मात्र राजीनामा के आधार पर ही

प्रकरण को निर्णित किया जा सकता है हस्तगत वाद में वादी ने प्राथमिक डिक्री व निर्णय की अपील की है जिससे वादी/अपीलांट द्वारा राजीनामा किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । आदेशिका दिनांक 20.6. 2017 के अवलोकन से यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रतिवादी या वादी के अधिवक्ता को दिलवाई जानी चाहिये थी । उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक अंकित नहीं है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र वकील पक्षकारान की बहस सुनना अंकित करते हुए बाद बहस प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार किया है जो न्याय, नियत व कानून के विपरीत है । प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 स्वीकार होने से तथाकथित राजू नाम का सहखातेदार बिना खातेदारी घोषणा प्राप्त किये खातेदारी में अंकन हो गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, काउन्टर क्लेम वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित टाईटल व तैयार किये गये नक्शे कुरेजात एवं प्राथमिक डिक्री में भी राजू नाम का अंकन नहीं किया गया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 के माध्यम से राजू नामक सहखातेदार का अंकन होने से वाद की प्रकृति ही बदल गई है इसलिये भी निर्णय डिक्री दिनांक 20.6.2017 निरस्त किये जाने योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 3.7.2015 के द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के किया गया था जिसकी पालना में प्राप्त नक्शे कुरेजात भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्धांत के अनुसार ही तैयार किये जाने चाहिये थे परन्तु नक्शा कुरेजात मनमर्जी से तैयार किया जाकर खसरा नंबर 658/804, रकबा 0.22 है0 संपूर्ण रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में रखा गया एवं वादी को मौके व कब्जे के विपरीत खसरा नंबर 650 व 649 दिये गये है । खसरा नंबर 658/804 मुख्य सड़क पर संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 को देने के पश्चात् वादी के आराजी खसरा नंबर 650 व 51 में आवागमन हेतु कोई शामलाती रास्ता कायम नहीं किया गया है न ही वादी के हक में खसरा नंबर 658/804 में हिस्सा दर्ज किया गया है जबकि वादी रोड़ के पास भी कीमती भूमि में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था तथा अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकानात रहवासी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है । इसी प्रकार वादी संख्या 650 में कुंए से 25 मीटर पश्चिम से पूर्व की ओर श्याम मनोहर प्रतिवादी संख्या 1 को छोड़ते हुए शेष खसरा नंबर 650 संपूर्ण पर वादी के हक में छोड़ते हुए खसरा नंबर 660 की पश्चिम सीमा से खसरा नंबर 658/804 तक अर्थात् खसरा नंबर 649 में से 7 मीटर चौड़ा रास्ते हेतु शामलाती में छोड़ा जाना चाहिये था। अधी0न्याया0 द्वारा अपनी आदेशिका एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 3.7.2015 के अनुरूप वादपत्र के मद नंबर 1 में वर्णित भूमि का तकासमा बाई मिट्स एझउ बाउण्डस के सिद्धांत के अनुसार किया जाकर नक्शा कुरेजात तैयार किये जाने हेतु आदेश पारित किये थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में जो नक्शे कुरेजात तैयार किये गये है वे विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत तैयार किये है । अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा में विधिविरूद्ध तैयार नक्शा कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर एकतरफा में पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा तहसीलदार को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुरूप नक्शे कुरेजात विधि अनुरूप वादी की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.4.2017 को अपनी आदेशिका में पक्षकारान को सूचना जरिये अदालती नोटिस

जारी होने के आदेश दिये है जिसकी पालना में कभी भी न्यायालय द्वारा कोई सूचना या नोटिस जारी नही किये गये न ही अपीलांट को कभी तामील हुए है । अधी0न्याया0 ने बिना पक्षकारान को नोटिस जारी किये एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे वादी/अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी थी । अपीलांट को हाल में दिनांक 25.5.2017 को रेस्पो0 संख्या 1 ने धमकी दी कि खसरा नंबर 658/804 संपूर्ण रकबा मेरे हक में दर्ज किया जा चुका है इसलिये वह जबरन प्रार्थी को कब्जे से बेदखल कर भूमि का बेचान करेगा जिस पर प्रार्थी ने पटवार हल्का झरना से संपर्क कर एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 20.6.2017 की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 28.5.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 29.5. 2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 3.7.2015 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 2.3.2017 द्वारा निरस्त होने पर पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारान को सूचना अदालती नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 ने कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत पक्षकारान को सुनकर उनकी उपस्थिति में वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । तहसीलदार द्वारा बाई मीटस एण्ड बोण्डस के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित किये है । यदि अपीलांट/वादी को कुरेजात से कोई ऐतराज थे तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति पेश करनी चाहिये थी । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.6.2017 विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को न्यायहित में सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 3.7.2015 द्वारा वादी का वाद काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अथवा सहमति अनुरूप नक्शे कुरेजात तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तत्पश्चात् लगभग तीन पेशियों तक पत्रावली तहसीलदार से नक्शे कुर्रेजात में चलती रही । इसके उपरांत अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील किये जाने से अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं होता है। अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.4.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 2.3.2017 अनुसार अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.7.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने से

अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली तारीख पेशी पर ली जाकर अधिवक्ता पक्षकारान को सूचना हेतु अदालती नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये जाकर वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.4.2017 नियत की गई । दिनांक 25.4.2017 की पेशी पर प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर कोई आदेशिका अंकित नहीं है बल्कि दिनांक 20.6.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम झरना में रखकर अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया तथा नक्शे कुर्रेजात अनुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को अदालती नोटिस जारी नहीं किये गये तथा न ही उन्हें कभी तामील हुए है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 20.4.2017 को पक्षकारान को अदालती नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये है किन्तु उक्त आदेशों की पालना में पक्षकारान को नोटिस जारी करने तथा तामील होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा तैयार नक्शा कुर्रेजात रिपोर्ट पर भी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा तैयार नक्शा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय विवादित भूमि के समस्त पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया है । इसके अभाव में तहसीलदार द्वारा तैयार नक्शा कुर्रेजात रिपोर्ट को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.6.2017 को पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.6.2017 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.6.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नक्शा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर